भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 446

(दिनांक 27.11.2024 को उत्तर देने के लिए)

पे चैनलों द्वारा दोहरी वसूली

446. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सही है कि एक ओर पे चैनल विज्ञापन कंपनियों से पैसे वसूलने के साथ-साथ इन कार्यक्रमों को देखने वाले लोगों से भी पैसे वसूलते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण/औचित्य हैं;

(ग) सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) किन देशों में राजस्व की दोहरी वसूली की प्रथा प्रचलन में है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): पे चैनल कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान विज्ञापन देने के लिए विज्ञापन कंपनियों से पैसे लेते हैं। उन्हें वितरण कंपनियों के साथ हुए इंटरकनेक्ट समझौतों के आधार पर वितरण कंपनियों द्वारा चार्ज की जाने वाली राशि (सदस्यता शुल्क) से भी उनका हिस्सा मिलता है।

हालांकि विज्ञापन की दर बाजार द्वारा निर्धारित होती है, दर्शकों से सदस्यता शुल्क, टैरिफ और इंटरकनेक्टेड समझौते तथा ट्राई के अन्य संबंधित विनियमनों के आधार पर तय किया जाता है। इसके बावजूद, सरकार ने टेलीविजन चैनलों पर विज्ञापनों की अवधि पर एक सीमा निर्धारित की है।

अन्य देशों में पे-चैनलों द्वारा राजस्व की दोहरी वसूली के संबंध में कोई विशिष्ट डेटा उपलब्ध नहीं है।

*****